

जो० नि० वि० फिरोजाबाद  
अनापत्ति प्रमाण पत्र

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० फिरोजाबाद

पत्रांक 1217/1E

दिनांक :- 23-07-2014

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
फिरोजाबाद।

**विषय :-** उ०प्र० रोड साइट लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा-6 के अन्तर्गत शिकोहाबाद मैनपुरी मार्ग रा०मा० कि०मी०-14(13.850) चक संख्या-325, गाटा संख्या-1826/2/3 ग्राम आजमाबाद अरांव, पेट्रोल पम्प रिटेल आउट लेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ :-** आपका पत्रांक 78/पेट्रोल सहायक/एन०ओ०सी०- पेट्रोल पम्प/ दिनांक 27.12.2014

सन्दर्भित पत्र के क्रम में मानचित्र पर आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है :-

1. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई०आर०सी० कोड संख्या 12-1983 के अनुसार किया जाये।
2. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कराया जाये।
3. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साइड खन्ती में 1.00 मी० चौड़ाई की ड्रेन बनाकर उसके ऊपर स्टील पाइप के कैटिल कैचर बना दिया जाये, ताकि मार्ग का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साइड ड्रेन से होकर आगे प्रवाहित नाली/नाले में बह सके।
4. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल मार्ग से पुलिया के ओर होगा।
5. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पेवड ऐरिया का लेविल सड़क के पेन्टेड सतह के मध्य बिन्दु के लेविल से 50 से०मी० नीचे रखा जाये।
6. बफर स्ट्रिप के पास हैजेज की ऊँचाई 60 से०मी० से ऊपर न रखी जाये।
7. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये।
8. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जायेगा।
9. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये। इस सम्बन्ध में लो०नि०वि० का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. आई०आर०सी०-13 के अनुसार मार्ग के 300 मी० दूरी पर कोई पेट्रोल पम्प स्थापित नहीं है।
11. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट से न्यूनतम 1.00 कि०मी० की दूरी में कोई चैक पोस्ट नहीं है।
12. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट शिकोहाबाद मैनपुरी मार्ग राज्य मार्ग कि०मी०-14(13.85) यू०पी० रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के अन्तर्गत मार्ग के मध्य से 22.86 मीटर पर स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण की संस्तुति की जाती है।

**संलग्न :-** 1. मानचित्र एवं संन्दर्भित पत्र की छायाप्रति।

(के०सी० यादव)  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रा०ख० लो०नि०वि० फिरोजाबाद

**प्रतिलिपि :-** सहायक अभियन्ता (तृतीय) प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० फिरोजाबाद को आपकी संस्तुति के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि :-** अवर अभियन्ता (प्रा०) को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि० फिरोजाबाद